# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या –03/2017

दायर दिनांक – 22.09.2017

निर्णय दिनांक – 27.10.2021

जीसीएमएस नं0 – 2017/00058

| प्रार्थीगण | बनाम | अप्रार्थी |
|---|---|---|
| 1. श्री छोटू पुत्र श्री दूला<br>2. श्रीमती छोटी पत्नी स्व. श्री छोगा<br>3. श्री गोविन्द पुत्र स्व. छोगा<br>4. श्री शैतान पुत्र स्व. श्री छोगा<br>5. श्रीमती केली पुत्री स्व. श्री छोगा<br>6. श्रीमती सोनी पुत्री स्व. श्री छोगा<br>7. श्रीमती लीला पुत्री स्व. श्री छोगा<br>समस्त जाति रावत निवासीगण बड़ी होकरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर। | | 1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर। |

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति– 1. श्री नौरतमल जैन, अधि0, प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

## –: निर्णय :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:44:45 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि [illegible] ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के [illegible] ग्राम होकरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072 [illegible] 2075 के खाता सं. 299/234 में दूला पुत्र श्री जोरा के स्थान पर दूला पुत्र रोडा तथा खाता सं.

27.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

354/355 में दूदा पुत्र श्री रोडा के स्थान पर श्री दूला पुत्र श्री रोडा की इन्द्राज दुरूस्त कर तरमीम किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना–पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक/तह. पुष्कर/कोर्ट/2021/1970 दिनांक 30.09.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि " राजस्व ग्राम होकरा की चौसाला जमाबंदी संवत् 2025–28 के खाता संख्या 47 व 150 का मिलान क्षेत्रफल निम्नानुसार है।

| चौसाला | | वर्किंग | | हाल | |
|---|---|---|---|---|---|
| ख0 नं0 | रकबा | ख0 नं0 | रकबा | ख0 नं0 | रकबा |
| 1447 | 00–01–00 | 1617 | 00–01–00 | 1386 | 0.01 |
| 1441 | 00–01–00 | 1609 | 00–01–00 | 2397 | 0.01 |
| 1450 | 00–03–00 | 1623<br>1623<br>1622 | 00–02–10<br>00–00–10 | 2410<br>2411 | 0.02<br>0.01 |
| 1078 | 00–10–00 | 1216<br>1217 | 00–05–00<br>00–05–00 | 2067<br>2065 | 0.04<br>0.04 |
| 1193 | 00–18–00 | 1341 | 00–05–00 (13 बीस्वा कमी) | 2046/3413 | 0.04 |
| 1265 | 00–02–00 | 1423 | 00–08–00 (4 बीस्वा बेशी) | 1986<br>1987 | 0.02<br>0.05 |
| 1446 | 01–04–00 | 1615<br>1616 | 00–12–00<br>00–12–00 | 2390<br>2391<br>2387 | 0.05<br>0.05<br>0.10 |

ग्राम होकरा की अन्तिम चौसाला जमाबंदी संवत् 2025 से 2028 के खाता संख्या 47 में खसरा नम्बर 1441 रकबा 00–01–00, 1447 रकबा 00–01–00 बीघा, 1450 रकबा 00–03–00 सह खातेदारी में अन्य खातेदारान के साथ दूला वल्द रोड़ा 1/4 हि. दर्ज है। तथा खाता संख्या 150 में खसरा नम्बर 1076 [illegible]–10–00 बीघा, 1193 रकबा 00–18–00 बीघा, 1265 रकबा 00–02–00 बीघा, 14[illegible] रकबा 01–04–00 में खातेदार दूला वल्द रोड़ा कौम रावत सा. दे[illegible]/भू–प्रबन्ध के पश्चात तैयार वर्किंग जमाबन्दी के चौसाला खसरा नम्बर से [illegible] वर्किंग खसरा नम्बर 1609 रकबा 00–01–00 बीघा, 1617 रकबा 00–01–00 बीघा, 1622 रकबा 00–10–10 बीघा, 7623 रकबा 00–02–10 बीघा खाता संख्या 268 में सहखातेदारान के साथ दूदा वल्द रोड़ा 1/4

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:44:45 IST
Reason: SelfAttested

23.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

हि. दर्ज है। खसरा नम्बर 1216 रकबा 00–05–00 बीघा, 1217 रकबा 00–05–00 बीघा, 1341 रकबा 00–05–00 बीघा, 1426 रकबा 00–08–00 बीघा, 1615 रकबा 00–12–00 बीघा, 1616 रकबा 00–12–00 बीघा खाता संख्या 116 में दूला वल्द जोरा कौम रावत सा. देह खातेदार दर्ज है। यह है कि बिन्दु संख्या 2 व 3 में अंतिम चौसाला व वर्किंग खसरा नम्बर के हाल खसरा नम्बर 2386 रकबा 0.01, 2397 रकबा 0.01, 2410 रकबा 0.02, 2411 रकबा 0.01 खाता संख्या 341 में क्रमांक 12 पर दूदा पुत्र रोड़ा हिस्सा 1/4 जाति रावत सा. देह सह खातेदारान के रूप में दर्ज हैं तथा खसरा नम्बर 1986 रकबा 0.02, 1987 रकबा 0.05, 2046/3413 रकबा 0.04, 2065 रकबा 0.04, 2067 रकबा 0.04, 2387 रकबा 0.10, 2390 रकबा 0.05, 2391 रकबा 0.05 खाता संख्या 299 में दूला पुत्र जोरा हिस्सा पूर्ण जाति रावत सा. देह खातेदार दर्ज है। वादीगण द्वारा अन्तिम चौसाला संवत् 2025–2028 साबिक जमाबन्दी में दर्ज विवरण के आधार पर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती वाद पत्र में चाही गई है। साबिक राजस्व रिकॉर्ड अन्तिम चौसाला जमाबंदी संवत 2025–2028 के पश्चात दो बार बंदोबस्त संक्रिया होकर क्रमशः साबिक राजस्व रिकॉर्ड संवत् 2041 वर्किंग जमाबन्दी एवं वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मिसल संवत् 2065–2084 तैयार हुए है। अतः वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष उचित नही है।''

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट, जमाबंदी की नकल एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि राजस्व ग्राम होकरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के साबिक राजस्व रिकॉर्ड अन्तिम चौसाला जमाबंदी संवत 2025–2028 के पश्चात दो बार बंदोबस्त संक्रिया होकर क्रमशः साबिक राजस्व रिकॉर्ड संवत् 2041 वर्किंग जमाबन्दी एवं वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मिसल संवत् 2065–2084 तैयार हुए है। अतः वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष उचित नही है।''

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर)

## –:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार/खारिज किया जाता है। राजस्व ग्राम होकरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के साबिक राजस्व रिकॉर्ड अन्तिम चौसाला जमाबंदी संवत 2025–2028 के पश्चात दो बार बंदोबस्त संक्रिया होकर क्रमशः साबिक राजस्व रिकॉर्ड संवत् 2041 वर्किंग जमाबन्दी एवं वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मिसल संवत् 2065–2084 तैयार हुए है। अतः वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष उचित नही होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukhia Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:44:45 IST
Reason: SelfAttested

22.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

चाहा गया अनुतोष दिया जाना संभव नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को मेरे द्वारा सरे–इजलास सुनाया गया।

27.10.21
सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:44:45 IST
Reason: SelfAttested